

कार्यालय जिला न्यायालय, अल्मोड़ा

कैन्टीन संचालन हेतु निविदा सूचना

विषय:- जिला न्यायालय परिसर, अल्मोड़ा स्थित कैन्टीन के वर्ष 2026-2027 के शेष माहों के (माह अगस्त, 2026 से माह मार्च, 2027) तक संचालन हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/फर्मों से सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

निविदा जारी होने की तिथि - 08.07.2026

निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि - 16.07.2026 समय 04:00 बजे सांय तक

निविदा खोलने की तिथि व समय - 17.07.2026 समय 04:00 बजे सांय तक

स्थान- जिला न्यायालय अल्मोड़ा।

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय अल्मोड़ा स्थित कैन्टीन के वर्ष 2026-2027 के शेष माहों के (माह अगस्त, 2026 से माह मार्च, 2027) तक संचालन हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/फर्मों से सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म उक्त निविदा प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, वे निर्धारित शर्तों की जानकारी उक्त दिनांक से पूर्व नजारत अनुभाग, जनापद न्यायालय अल्मोड़ा, न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट <https://almora.dcourts.gov.in> के टेंडर सैक्शन (Tender) में एवं नोटिस बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जिला न्यायालय अल्मोड़ा में केन्द्रीय साध्यपाल को कार्यालय दूरभाष नं०-05962-230190 में कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।


अध्यक्ष नीलामी कमेटी/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला न्यायालय, अल्मोडा

कैन्टीन संचालन हेतु निविदा सूचना

विषय:- जिला न्यायालय परिसर, अल्मोडा स्थित कैन्टीन के वर्ष 2026-2027 के शेष माहों के (माह अगस्त, 2026 से माह मार्च, 2027) तक संचालन हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/फर्मों से सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

निविदा जारी होने की तिथि -

निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि -

निविदा खोलने की तिथि व समय व स्थान -

कैन्टीन संचालन हेतु नियम व शर्तें

1- पात्रता:-

निविदादाता के पास निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से होने चाहिए जो कि निविदा के साथ जमा किया जाना आवश्यक होगा।

(क) आधार कार्ड।

(ख) पैन कार्ड।

(ग) जीएसटी पंजीकरण।

(घ) अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो।)

(ङ) शपथ पत्र कि भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन के किसी भी विभाग द्वारा वर्ज्य सूची (Black list) में नहीं डाला गया हो।

2- निविदा की अन्य शर्तें-

01. निविदादाता भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार का फौजदारी/दीवानी मामला लम्बित नहीं होना चाहिए। निविदादाता को भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन के किसी भी विभाग द्वारा वर्ज्य सूची (Black list) में नहीं डाला गया हो, जिसके सम्बन्ध में निविदादाता द्वारा शपथ पत्र देना होगा।

02. निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले समस्त निविदादाताओं को बयाना राशि (EMD) के रूप में ₹0-2680.00 नगद नजारा अनुभाग, जिला न्यायालय अल्मोडा में जमा करने होंगे, जो कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त असफल निविदादाताओं को नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

03. सफल निविदादाता को अनुबन्ध अवधि तक धरोहर राशि के रूप में अन्तिम बोली का 10 प्रतिशत जमा करना होगा। निश्चित तिथि तक धरोहर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त समझा जायेगा एवं उसकी बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जायेगी।

04. सफल बोलीदाता द्वारा किराये की धनराशि त्रैमासिक अग्रिम माह की 10 तारीख तक जमा की जायेगी।

05. अपरिहार्य कारणों अथवा अवकाश की स्थिति में कार्यालय बन्द होने पर निविदा की प्रक्रिया अगले कार्यदिवस में सम्पन्न करायी जायेगी।

06. नीलामी समिति, जिला न्यायालय अल्मोडा को बिना कोई कारण बताये निविदा प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार होगा।

07. निविदा की शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में, नीलामी समिति, जिला न्यायालय अल्मोडा का निर्णय अन्तिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

08. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र जिला न्यायालय अल्मोड़ा होगा।
09. सभी लागू कर, यदि कोई हों, स्वीकार्य दरों पर, सफल निविदादाता द्वारा भुगतान किए जाने होंगे।
10. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार जिला न्यायाधीश अल्मोड़ा के पास सुरक्षित होगा।
12. निविदा की सम्पूर्ण कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के नियमानुसार की जाएगी।
- 3- कैन्टीन संचालन हेतु नियम व शर्तें-**
01. कैन्टीन का संचालन न्यायालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समयानुसार किया जायेगा।
02. कैन्टीन का संचालन किसी अन्य व्यक्ति को उप अनुबन्ध पर कदापि नहीं दिया जायेगा।
03. अनुबन्ध की अवधि चालू वित्तीय वर्ष-2026-27 के शेष आठ माह हेतु होगी।
04. कैन्टीन में केवल ताजा, स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामाग्री का ही उपयोग एवं विक्रय किया जायेगा। एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।
05. खाद्य सामाग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं मूल्य का जिला न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार न्यायालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
06. कैन्टीन परिसर एवं रसोईघर की साफ-सफाई बनाए रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कैन्टीन संचालक की होगी तथा कचरा प्रबन्धन का पालन (सूखा व गीता कचरा अलग-अलग कूड़ेदान में डाला जाना व उसका सुरक्षित निपटान) किया जाना चाहिए एवं कैन्टीन संचालन में कैन्टीन भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
07. प्लास्टिक एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित सामाग्री के विक्रय पर पूर्णतः रोक रहेगी।
08. कैन्टीन में कार्यरत कर्मचारियों की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए व उनका व्यवहार शालीन होना चाहिए तथा वे किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित न हों एवं उनके स्वच्छ वेशभूषा एवं साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी कैन्टीन संचालक की होगी।
09. कैन्टीन में कार्यरत बाहरी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कैन्टीन संचालक द्वारा करवाया जाना चाहिए।
10. कैन्टीन में किसी भी प्रकार के पान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब अथवा अन्य नशीले पदार्थों एवं मांसाहारी भोजन के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
11. कैन्टीन संचालक द्वारा खाद्य पदार्थों की मानकों के अनुरूप मूल्य सूची कैन्टीन के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी।
12. कैन्टीन संचालन हेतु विद्युत संयोजन कैन्टीन संचालक द्वारा स्वयं लिया जायेगा। विद्युत एवं जल का प्रयोग केवल कैन्टीन संचालन के लिए किया जायेगा। अनावश्यक दुरुपयोग किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
13. किसी भी प्रकार की दुर्घटना, कर्मचारी विवाद, श्रम कानून, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, वेतन भुगतान आदि की समस्त जिम्मेदारी कैन्टीन संचालक की होगी।
14. कैन्टीन संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत सत्य पाये जाने पर चेतावनी, आर्थिक दण्ड एवं अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
15. कैन्टीन संचालक को न्यायालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. कैन्टीन संचालक द्वारा अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित सभी नियमों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए।

40.

अध्यक्ष नीलामी कमेटी /
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

पत्रांक- 794 / 2026 / कैन्टीन व फोटो स्टेट निविदा / जि० न्या० अल्मोड़ा दिनांकित ०६ जुलाई, 2026

1. प्रतिलिपि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रतिलिपि जिला सूचना, अधिकारी को उपरोक्त नीलामी के स्थानीय समाचार-पत्र में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने बावत्।
3. प्रतिलिपि केन्द्रीय साध्यपाल को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त निविदा सूचना के बृहद प्रचार-प्रसार हेतु शहर के सभी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं सुलभ सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट पर उक्त निविदा सूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड सिविल न्यायालय रानीखेत/द्वाराहाट व भिकियासैण में चस्पा किये जाने हेतु

40
अध्यक्ष नीलामी कमेटी/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

जिला न्यायालय परिसर अल्मोडा स्थित कैन्टीन के वर्ष 2026-2027
के शेष माहों (माह अगस्त, 2026 से माह मार्च, 2027) तक संचालन के लिए
निविदा हेतु पात्रता प्रपत्र

क्रमांक	विवरण	जानकारी	
1.	आवेदक का नाम		
2.	फर्म का नाम		
3.	पता (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न किया जाय)		
4.	सम्पर्क विवरण	टेलीफोन/ मोबाइल नम्बर	
		ई-मेल आईडी	
5.	फर्म/एजेन्सी के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम		
6.	अन्य विवरण (स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)	पैन नम्बर	
		जीएसटी पंजीकरण संख्या	

मैं..... एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ कि जिला न्यायालय परिसर अल्मोडा में स्थित कैन्टीन के वर्ष 2026-2027 के संचालन हेतु मेरे द्वारा दी गयी सम्पूर्ण जानकारी सत्य है तथा मेरे द्वारा निविदा में कैन्टीन के संचालन हेतु तय की गई नियम व शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया गया है तथा कैन्टीन के संचालन हेतु निविदा में दी गई सभी शर्तें मान्य हैं।

दिनांक-

स्थान:

नाम:

पिता का नाम:

हस्ताक्षर: